संख्या- 5001 /15-7-16(17)/1992

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 1997

विषय:- प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2762/15-13-90-4146(1)/1991 दिनांक 30-11-91 में निर्धारित प्रक्रियानुसार यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं द्वारा अपने आवेदन पत्र सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत किये जायेंगे । सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित संबंधित शिक्षण संस्था का स्वयं निरीक्षण करने के उपरान्त उक्त संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने अथवा न दिये जाने के संबंध में अपनी आख्या/संस्तुति शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेंगे । स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यदि विद्यालय में किसी प्रकार की कमियां पाई जाती है तो सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने स्तर से संबंधित संस्था को उन कमियों के बारे में सूचित करेंगे ।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि जिन संस्थाओं द्वारा सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जायेगी तद्विषयक आवेदन पत्र संबंधित सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को प्रस्तुत किये जायेंगे । तदोपरान्त संस्थाओं का निरीक्षण, आख्या प्रेषण व अन्य समस्त कार्यवाही संबंधित सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा की जायेगी । शासनादेश दिनांक 30-11-91 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शासनादेश द्वारा अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी ।

Scanned by CamScanner

3- कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनि[illegible] करें ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

पृ0सं0 : (1)/15-7-1997 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ।

3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

Scanned by CamScanner